बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, केवटी
E-Mail ID - wkcdkeoti @gmail.com, Mob-7463889749

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)– 06/2025–26

पत्रांक ..../ केवटी, दिनांक.............../............./2026

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, केवटी अन्तर्गत प्रमंडलाधीन योजनाओं के सम्पोषण/आकस्मिक/ निरीक्षण कार्य एवं अन्य कार्यो हेतु भाड़े पर कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, केवटी अन्तर्गत अवर प्रमंडल के दिवा–रात्रि उपयोग हेतु भाड़े पर 02 (दो) बोलेरो (चालक सहित) वित्तीय वर्ष–2026–27 के लिए आवश्यकता है। आपूर्ति/सेवा हेतु आपूर्ति कर्त्ताओं/संवेदको/सेवा प्रदाताओं से निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालिन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

- अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित सूचना निर्गत करने की तिथि :– दिनांकः–30.03.2026
- अल्पकालीन कोटेशन जमा करने की तिथि :– दिनांकः–11.04.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
- अल्पकालीन कोटेशन जमा करने का स्थान :– कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, केवटी।
- अल्पकालीन कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांकः–11.04.2026 को 03:30 बजे अपराह्न तक।
- विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, केवटी।

नियम एवं शर्ते निम्नवत् हैः–

1. वाहन 15 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक भाड़े पर रखने के लिए एकरारनामा किया जायेगा तथा एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ताओं के द्वारा किसी निजी कार्य या व्यवसायिक कार्य में नही किया जायेगा।
2. वाहन का मॉडल 2015 के पूर्व का नहीं होना चाहियें एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म के द्वारा ही किया जायेगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, रोड टैक्स, पैन कार्ड, प्रदूषण प्रमाण पत्र,एवं अन्य दस्तावेज मोटरयान अधिनियम के अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैद्य ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के विरूद्ध किराया प्रतिमाह ईंधन रहित देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक की जबाव देही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
10. वाहन का किराया मासिक न्यूनतम दर समाहरणालय, दरभंगा जिला नजारत शाखा द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर के बराबर या आपके द्वारा उद्धृत दर मे से न्यूनतम दर स्वीकार होगा तथा भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त हाने के पश्चात किया जायेगा।
11. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशन दाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोष जनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना नोटिस के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है। एकरारनामा 1000 (एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा।
12. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
13. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नही जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नही करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।
14. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात् भुगतान की जायेगी।

15. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताए अधोहस्ताक्षरी द्वारा रदद् करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
इच्छुक वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता उक्त क्रमांक 01 से 15 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नॉटरी द्वारा निर्गत) एवं कमांक 05 एवं 06 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति के साथ अपना कोटेशन दिनांक 11.04.2026 तक कार्य अवधि मे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे बंद लिफाफा मे 3:00 बजे अपराह्न तक समर्पित करेगें, जिसे दिनाक 11.04.2026 के 3:30 बजे अपराह्न कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, केवटी के कार्यालय मे खोला जायेगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहेंगे। सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर एवं एक से ज्यादा समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशन दाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ताओं का चयन किया जायेगा, जिसकी सूचना (लॉटरी की तिथि) आपूर्तिकर्त्ताओं को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये Whatsapp Number/Email के माध्यम से दी जाएगी। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लॉटरी के समय उपस्थित रहेगे अन्यथा उनकी या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति बिना भी लॉटरी किया जायेगा तथा इस संबंध मे कोई दावा मान्य नही होगा। कोटेशन के साथ क्रमांक 05 एवं 06 के कागजात एवं शपथपत्र नही रहने पर इसे अमान्य कर दिया जायेगा। विशेष जानकारी कार्यालय मे संपर्क कर अथवा कार्यालय सूचना पट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं।
16. काटेशनदाताओं को वित्तीय दर निम्न प्रपत्र में देना होगा।

कम संख्या	वाहन का प्रकार	ईधन रहित मासिक भाड़ा

ह0/–
कार्यपालक अभियंता
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल
केवटी(दरभंगा)।

पत्रांक 540/ केवटी दिनांक 30/03/2026
प्रतिलिपिः—सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं हिन्दी में एक प्रति (सॉफ्ट तथा हार्ड प्रतियों में) विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु तथा कम से कम दो लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशन हेतु समर्पित किया जाता है।

30.3.26
कार्यपालक अभियंता
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल
केवटी(दरभंगा)।
30/3/26